

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेयी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

लखनऊ : दिनांक : 27 मार्च, 2018

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत जनपद-बदायूं की 29 परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4275/18/10/छः/विविध/2017-18, दिनांक 01 फरवरी, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत" वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत जनपद-बदायूं की न0पा0प0 बदायूं, बिसौली एवं उझानी तथा न0पं0, कुंवरगांव, बजीरगंज, सैदपुर, मुडिया, फैजगंज एवं कछला की विभिन्न अल्पविकसित बस्तियों में इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग 29 परियोजनाओं हेतु कुल ₹0 297.89 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित, उक्त के सांपेक्ष प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित धनराशि ₹0 148.945 लाख (रूपये एक करोड़ अड़तालीस लाख चौरानबे हजार पांच सौ मात्र), की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि का उपयोग प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-117/2017/1279/69-1-17-14(31)/2012टीसी, दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

क्रमशः.....2

श्री अनिल कुमार बाजपेयी

२७/३/१८

5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
7. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
9. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सुचित किया जायेगा।
10. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
11. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव, विशेष सचिव तथा संयुक्त सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
12. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
13. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
14. सेन्टेज/चार्जज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
15. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2018 तक व्यय हो सके।
16. स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व परियोजनावार स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आगणनों में संशोधन सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-04-गन्दी बस्तियों का विकास-051-निर्माण-04-मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या-ई-8-1057/दस-2018, दिनांक 23 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय
26/3/18
(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।

संख्या-126 /2018/279(1)/69-1-18, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, 20, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र0 शासन।
5. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, बदायूं।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, 30प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र0 शासन।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा का विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)

अनु सचिव।


का संलग्नक।

(धनराशि लाख रु0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	निकाय/नगर पंचायत का नाम।	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	प्रथम किश्त (50 प्रतिशत) के रूप में स्वीकृति की जाने वाली धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1	बदायूं	न0पा0परि0, बदायूं	नेकपुर गली नं0 05 में मनोज चन्देल के घर से विजय के घर तक व अन्य छोटी गलियों में सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	6.80	3.40
2	तदैव	तदैव	नेकपुर गली नं0 4 व 3 के बीच मंदिर के पास पुलिया का निर्माण कार्य।	5.21	2.605
3	तदैव	तदैव	प्रभात नगर शनिदेव मंदिर से प्रेमबाबू के मकान से हाकिम सिंह के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	10.80	5.40
4	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 मो0 टिकटगंज चौराहे सरस्वती बुक डिपो के सामने अशोक कुमार के मकान से कोठी वाली मस्जिद तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	6.46	3.23
5	तदैव	तदैव	आदर्श नगर में भाजपा जिला अध्यक्ष श्री हरीश शाक्य वाली गली में मेन रोड से सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	15.92	7.96
6	तदैव	तदैव	मालगोदाम रोड सिविल लाइन्स प्रगति विहार कालोनी में मेन रोड से श्री जितेन्द्र सक्सेना व राजीव सक्सेना (उपाध्यक्ष ब्रज क्षेत्र) के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	16.08	8.04
7	तदैव	तदैव	मो0 जवाहर पुरी में मंदिर से प्रतिक टेलर के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	10.45	5.225
8	तदैव	तदैव	मो0 चाहखजूर में श्री अक्षय रस्तोगी के मकान से राजू तेल वालों के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	6.58	3.29
9	तदैव	न0पं0, कुंवरगांव	हरिजन बस्ती में मुन्ना मनिहार के मकान से बंगाली भर्ती के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	6.24	3.12
10	तदैव	तदैव	पाली बस्ती में जयराम के घर से संदीप मिश्रा के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	8.76	4.38
11	तदैव	तदैव	जाटव बस्ती में चंद्रपाल जाटव के घर से भगवानदास के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	3.48	1.74
12	तदैव	न0पं0, वजीरगंज	बनिया वजीरगंज में छोटे सिंह झाइवर के घर से दीपक के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	3.58	1.79
13	तदैव	तदैव	बघोल में कल्लू हरिजन के घर से श्रीपाल हरिजन के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	3.06	1.53
14	तदैव	न0पा0परि, बिसौली	वार्ड नं0 14 में श्री राकेश वाल्मीकि के मकान से मौर्य समाज की बस्ती (कोढौली की तरफ) तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	17.35	8.675
15	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 01 इतवार नक्शा मेन रोड से बृजपाल के मकान तक	9.56	4.78

			सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।		
16	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 10 बदायूं रोड पर श्री उमेश वरदाना वालों से दीपक के मकान होते हुये साईं मंदिर तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	9.27	4.635
17	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 03 दवतोरी रोड श्री अनिल गुप्ता के स्कूल के बराबर से श्री अमरपाल पाली के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	14.53	7.265
18	तदैव	न0पं0, सैदपुर	सेहावर लिंक मार्ग से सलमानी कब्रिस्तान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	21.51	10.755
19	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 02 में सुलेमान के मकान से अहमद जान के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	14.38	7.19
20	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 12 में नन्दलाल मौर्य के मकान से चन्द्रपाल के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	5.91	2.955
21	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 12 में रामकिशोर के मकान से गोवर्धन के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	4.22	2.11
22	तदैव	न0पं0, मुडिया	वार्ड नं0 02 में बनारसी वाल्मीकि के मकान से लक्ष्मण सिंह के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	4.19	2.095
23	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 02 में शिव मंदिर से के0पी0 जोशी के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	2.95	1.475
24	तदैव	न0पं0, फैजगंज	वार्ड नं0 01 में मुरादाबाद रोड से अली हसन के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	4.64	2.32
25	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 01 में जाटवान माहल्ल से मौजीराम के बाग से बिजलीघर तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	25.54	12.77
26	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 02 में श्री छोट के मकान से गजराम के मकान से होते हुये ऋषिपाल के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	1.69	0.845
27	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 02 में मो0 जटवान श्री जगदीश के मकान से इसरार के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	7.67	3.835
28	तदैव	न0पा0परि0, उझानी	वार्ड नं0 17 के मो0 गद्दी टोला में पीपल के पेड़ से नत्थू सेवाराम मौर्य के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	38.25	19.125
29	तदैव	न0पं0, कछला	बदायूं कासगंज मुख्य मार्ग से गोविन्द बल्लभ पन्त महाविद्यालय तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	12.81	6.405
योग				297.89	148.945

(रूपमें एक करोड़ अड़तालीस लाख चौरानबे हजार पांच सौ मात्र)।


 (अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
 अनु सचिव।